असाधारण
EXTRAORDINARY
Daman 18th July, 2013, 27 Asadha 1935 (Saka) सं. : No. : 25

सरकारी राजपत्र
OFFICIAL GAZETTE

सत्यमेव जयते
भारत सरकार
Government of India

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन
U.T. ADMINISTRATION OF DAMAN & DIU

प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 1/2013/Est_Election/PPS/2013/81
UT Administration of Daman & Diu
Office of the Dy. Secretary(Election)
Secretariat, Daman

Dated : 18/07/2013

The Election (Reservation & Allotment)(Amendment) Order, 2013 issued by the Election Commission of India, New Delhi is hereby re-published in the Official Gazette of this U.T. Administration of Daman and Diu for general Information.

Sd/-
(Asha Chaudhary)
Dy. Secretary (Election)
Secretariat, Daman

***

EXTRAORDINARY No. : 25
DATED : 18TH JULY, 2013.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan,
Ashoka Road,
New Delhi – 110001

No.56/2013/PPS-II

Dated : 10th July, 2013
19 Ashadha, 1935 (Saka).

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Article 324 of the Constitution of Indian read with Rules 5 and 10 of the Conduct of Elections Rules, 1961, the Election Commission of India hereby makes the following Order to further amend the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, namely:-

1. Short title and commencement

(i) This Order shall be called the Election Symbols (Reservation and Allotment) (Amendment) Order, 2013.

(ii) It shall come into force with effect from 15th July, 2013.

2. Substitution of paragraph 10B

In the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, for the existing paragraph 10B, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"10B - Concession to candidates set up by registered (unrecognized) parties and to unrecognized parties which were earlier recognized parties more than 6 years back.

The candidates set up by a registered unrecognized political party at the general election to the Legislative Assembly of a State or to the House of the People, may be allotted a common symbol, subject to fulfilment of the following conditions :-

(A) At a general election to the Legislative Assembly-

(i) The party sets up candidates at least in 10% (ten percent) of the assembly constituencies in the State, subject to a minimum of five constituencies in States having forty or less seats;

(ii) In the case of election on expiry of the normal term of the Legislative Assembly, the intimation with regard to its intention to contest election under sub-clause(i) is given by the party to the Commission at any time during the period commencing from the date six months prior to the date of expiry of the term of the Assembly and latest by five clear days before the date on which the notification (or the first of the notifications in the case of a phased election) of the election is scheduled to be issued;

(iii) In the case of dissolution of the Legislative Assembly before the expiration of its normal term, the intimation with regard to its intention under sub-clause (i) is given by the party to the Commission at any time from the date of dissolution of the Legislative Assembly and latest by five clear days before the date on which the notification (or the first of the notifications in the case of a phased election) of the election is scheduled to be issued;

(iv) The party shall give the names of ten symbols, in order of preference, from out of the list of free symbols notified by the Commission under paragraph 17 of this Order:

Provided that a party may, if it so desires, also propose three new symbols of their choice, with the names and clear design and drawings of symbol, in the order of preference, for allotment to its candidates, which the Commission may consider for allotment as its common symbol if there is, in its opinion, no objection in allotting such symbol:

Provided further that the symbols proposed by the parties shall have no resemblance to the existing reserved symbols or free symbols, nor shall have any religious or communal connotation or depict any bird or animal;

Provided also that no proposal for a new symbol shall be entertained by the Commission unless it is made at least three months before the date of expiry of term of the Assembly concerned, or within one month of the premature dissolution of the Assembly, as the case may be;

(v) The party also gives an undertaking that if the party does not set up candidates in the minimum number of the constituencies as prescribed in condition (i) above, its candidates shall not be entitled to allotment of a common symbol on the date of

allotment of symbols to them; and, in addition, the party shall be liable for such punitive action as the Commission may consider appropriate.

(vi) The list containing the serial numbers and names of the constituencies where the party is setting up candidates is submitted to the Commission latest by 5 clear days before the date on which the notification (or first of the notifications in the case of a phased election) of the election is scheduled to be issued;

(B) At a general election to the House of the People –

(i) The party sets up candidates at least in 10% (ten percent) of the parliamentary constituencies in the State, in which it seeks allotment of a common symbol to its candidates, subject to a minimum of two constituencies in States having less than twenty parliamentary constituencies allotted to the State (except the States having only one seat);

(ii) In the case of election on expiry of the normal term of the House of the People, the intimation with regard to its intention to contest election under sub-clause(i) is given by the party to the Commission at any time during the period commencing from the date six months prior to the date of expiry of the term of the House of the People and latest by five clear days before the date on which the notification (or the first of the notifications in the case of a phased election) of the election is scheduled to be issued;

(iii) In the case of dissolution of the House of the People before the expiration of its normal term, the intimation with regard to its intention under sub-clause (i) is given by the party to the Commission at any time from the date of dissolution of the House of the People and latest by five clear days before the date on which the notification (or the first of the notifications in the case of a phased election) of the election is scheduled to be issued;

(iv) The party shall give the names of ten symbols, in order of preference, from out of the list of free symbols notified by the Commission under paragraph 17 of this Order;

Provided that a party may, if it so desires, also propose three new symbols of their choice, with the names and clear design and drawings of symbol, in the order of preference, for allotment to its candidates, which the Commission may consider for allotment as its common symbol if there is, in its opinion, no objection in allotting such symbol;

Provided further that the symbols proposed by the parties shall have no resemblance to the existing reserved symbols or free symbols, nor shall have any religious or communal connotation or depict any bird or animal:

Provided also that no proposal for a new symbol shall be entertained by the Commission unless it is made at least three months before the date of expiry of term of the House of the People, or within one month of the premature dissolution of the House, as the case may be;

(v) The party also gives an undertaking that if the party does not set up candidates in the minimum number of the constituencies as prescribed in condition (i) above, its candidates shall not be entitled to allotment of a common symbol on the date of allotment of symbols to them; and, in addition, the party shall be liable for such punitive action as the Commission may consider appropriate;

(vi) The list containing the serial numbers and names of the constituencies where the party is setting up candidates is submitted to the Commission latest by 5 clear days before the date on which the notification (or first of the notifications in the case of a phased election) of the election is scheduled to be issued.

Explanation –

For the removal of doubt, it is hereby clarified that -

(i) In cases where the period between the date of coming into force of this notification and the date of expiry of the term of a Legislative Assembly is less than six months, the provisions of this paragraph shall apply from the date this notification comes into force;

(ii) The concession of allotment of common symbol to the candidates of a registered unrecognized party under this paragraph shall be only a one-time facility either at a general

election to the House of the People or to a State Legislative Assembly, as the party may choose, and a party that has availed of this concession once shall not be eligible for the concession in any subsequent general election:

Provided that those parties which have already availed of the concession under paragraph 10B, as it existed prior to this notification, shall also be eligible to a one-time concession of common symbol as per the amended provisions of this paragraph;

(iii) The free symbol allotted as a common symbol to the candidates of a party under this paragraph shall be available for allotment to candidates set up by the other parties or independent candidates in those other constituencies in which that party has not set up its candidates;

(iv) Allotment of common symbol under this paragraph shall be done on 'first-come-first-served' basis:

Provided that if applications of two or more parties giving preference for the same symbol are received in the Commission on the same date, then the question of allotment of the symbol to one of such parties shall be decided by draw of lots in such manner as may be directed by the Commission:

Provided further that if out of the two or more such parties giving preference for the same symbol whose applications are received on the same date, one party is such that it has Member(s) elected to the House of the People or the Legislative Assembly of the State concerned on the symbol for which preference has been given by the party, then the symbol shall be allotted to that party to the exclusion of the other parties;

(v) if it is not possible for the Commission for any reason to allot a common symbol to the candidates of a party from out of the list of symbols for which it has given its preference under this paragraph, some other symbol from the list of free symbols may be allotted to that party in consultation with that party;

(vi) notwithstanding anything contained in paragraph 10A, a political party which was earlier a recognized political party and which lost its recognition more than 6 years back will also be eligible under this paragraph to the one-time concession of allotment of the symbol which was earlier reserved for the party, at a general election to the House of the People or to the

Legislative Assembly of a State, held after expiry of six years since the party lost its recognition, subject to the fulfilment of each of the conditions specified under clause(A) or (B), as the case may be, except the condition in sub-clause (iv) thereof."

By Order,

(K. F. WILFRED)

PRINCIPAL SECRETARY TO THE
ELECTION COMMISSION OF INDIA

EXTRAORDINARY No. : 25
DATED : 18TH JULY, 2013.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली– 110001.

सं0: 56/2013/पी पी एस-II

दिनांक: 10 जुलाई, 2013
19 आषाढ़, 1935 (शक)

अधिसूचना

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 5 तथा 10 के साथ पठित, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आबंटन) आदेश, 1968 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करता है, अर्थात:–

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ** :–

(i) यह आदेश **निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आबंटन) (संशोधन) आदेश, 2013** कहा जाएगा।

(ii) यह 15 जुलाई, 2013 से प्रवृत होगा।

2. **पैरा 10ख का प्रतिस्थापन**

निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आबंटन) आदेश, 1968 में विद्यमान पैरा 10ख के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

"**10ख–रजिस्ट्रीकृत (अमान्यताप्राप्त) दलों और उन अमान्यताप्राप्त दलों जो 6 वर्ष से अधिक पहले मान्यता प्राप्त दल थे, के द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के लिए रियायत।**

किसी रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा किसी राज्य की विधानसभा या लोक सभा के साधारण निर्वाचन में खड़े किए गए अभ्यर्थियों को एक ही प्रतीक आबंटित किया जाएगा बशर्ते कि वे निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करते हों :–

(क) विधान सभा के साधारण निर्वाचनों में–

(i) राजनीतिक दल राज्य के विधान सभा निर्वाचनों में कम से कम 10% (दस प्रतिशत) विधानसभा क्षेत्रों पर और यदि राज्य में विधानसभा में 40 या इससे कम सीटें हों, तो कम से कम 5 सीटों पर, अपने अभ्यर्थी खड़ा करेगा;

(ii) विधान सभा की सामान्य कार्य-अवधि पूरी होने पर निर्वाचन होने के मामले में उस दल द्वारा निर्वाचन लड़ने के अपने आशय की सूचना, उप खण्ड (i) के अधीन विधानसभा की कार्य अवधि पूरी होने की तारीख से छह महीने पहले शुरू होने वाली अवधि के दौरान कभी भी और अधिकतम निर्वाचन की अधिसूचना (या चरणबद्ध निर्वाचनों के मामले में पहली अधिसूचना) जारी किए जाने के लिए निर्धारित तारीख से पांच पूर्ण दिवस पहले, आयोग को दे दी जाती है;

(iii) अपने सामान्य कार्यकाल से पहले विधानसभा के भंग होने की दशा में दल द्वारा उप खण्ड (i) के अधीन अपने आशय के संबंध में सूचना विधानसभा के भंग होने की तिथि से किसी भी समय और अधिकतम उस तारीख से जिस तारीख से निर्वाचन की अधिसूचना (या चरणबद्ध निर्वाचनों के मामले में पहली अधिसूचना) जारी किए जाने के लिए निर्धारित हो, पांच पूर्ण दिवस पहले आयोग को सूचना दे दी जाती है;

(iv) दल इस आदेश के पैरा 17 के अन्तर्गत आयोग द्वारा अधिसूचित मुक्त प्रतीकों की सूची में से, वरीयता क्रम में, दस प्रतीकों के नाम देगा:

बशर्ते कि कोई दल, यदि ऐसी इच्छा व्यक्त करता है, अपने अभ्यर्थियों के आबंटन के लिए प्रतीक के नामों तथा सुस्पष्ट डिजाइन एवं आरेखों के साथ अपने पसंद के तीन नए प्रतीकों का भी, वरीयता क्रम में, प्रस्ताव करे जिस पर आयोग एक ही प्रतीक आबंटित करने पर विचार कर सकता है जब उसका यह अभिमत हो जाए कि ऐसे प्रतीक को आबंटित करने में उसे कोई आपत्ति नहीं है :

बशर्ते यह भी कि दलों द्वारा प्रस्तावित प्रतीकों का मौजूदा आरक्षित प्रतीकों या मुक्त प्रतीकों से न तो कोई सादृश्य हो और न ही कोई धार्मिक या सांप्रदायिक स्वगुणार्थ हो या किसी पक्षी या पशु का वर्णन करता हो;

बशर्ते यह भी कि नए प्रतीक के लिए किसी भी प्रस्ताव पर आयोग द्वारा तब तक कोई विचार नहीं किया जाएगा जब तक उसे संबधित विधानसभा की कार्य अवधि समाप्त होने की तिथि से कम से कम तीन महीने पहले या विधानसभा के समय–पूर्व भंग किए जाने के एक महीने के भीतर, जैसा भी मामला हो, न दिया गया हो;

(v) दल यह वचन–पत्र भी दे कि यदि दल ऊपर शर्त (i) में यथा–विहित निर्वाचन–क्षेत्रों की न्यूनतम संख्या में अभ्यर्थियों को खड़ा नहीं करता है तो उसके अभ्यर्थी प्रतीकों के आबटन की तिथि के दिन उन्हें एक ही प्रतीक आबंटित किए जाने के हकदार नहीं होंगे; और, इसके अतिरिक्त दल आयोग द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली दण्डात्मक कार्रवाई का भागी भी बनेगा।

(vi) दल जिन निर्वाचन–क्षेत्रों में अभ्यर्थी खड़े कर रहा है उनकी क्रम संख्याओं और नामों वाली सूची आयोग को उस तिथि से जिस तिथि से निर्वाचन की अधिसूचना (या चरणबद्ध निर्वाचनों के मामले में पहली अधिसूचना) जारी किए जाने के लिए निर्धारित हो, पांच पूर्ण दिवस पहले प्रस्तुत की जाए।

(ख) लोक सभा के सामान्य निर्वाचन में–

(i) दल उस राज्य में संसदीय निर्वाचन–क्षेत्रों के कम से कम 10% (दस प्रतिशत) में अभ्यर्थी खड़े करे जिसमें वह अपने अभ्यर्थियों के लिए एक ही प्रतीक का आबंटन चाहता है बशर्ते कि उन राज्यों में न्यूनतम दो निर्वाचन–क्षेत्र हो जिनमें राज्य को बीस से कम संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र आबंटित किए गए हों (सिवाए ऐसे राज्य के जिनमें केवल एक सीट है);

(ii) लोक सभा की सामान्य कार्य अवधि पूरी होने पर निर्वाचन होने के मामले में उस दल द्वारा निर्वाचन लड़ने के अपने आशय की सूचना, उप खण्ड (i) के अधीन लोक सभा की कार्य अवधि पूरी होने की तारीख से छह महीने पहले शुरू होने वाली अवधि के दौरान कभी भी और अधिकतम उस तारीख से जिस तारीख से निर्वाचन की अधिसूचना (या चरणबद्ध निर्वाचनों के मामले में पहली अधिसूचना) जारी किए जाने के लिए निर्धारित हो, पांच पूर्ण दिवस पहले, आयोग को दे दी जाती है;

(iii) अपने सामान्य कार्यकाल से पहले लोक सभा के भंग होने की दशा में दल द्वारा उप खण्ड (i) के अधीन अपने आशय के संबंध में सूचना लोक सभा के भंग होने की तिथि से किसी भी समय और अधिकतम उस तारीख से जिस तारीख से निर्वाचन की अधिसूचना (या चरणबद्ध निर्वाचनों के मामले में पहली अधिसूचना) जारी किए जाने के लिए निर्धारित हो, पांच पूर्ण दिवस पहले आयोग को सूचना दे दी जाती है;

(iv) दल इस आदेश के पैरा 17 के अन्तर्गत आयोग द्वारा अधिसूचित मुक्त प्रतीकों की सूची में से, वरीयता क्रम में, दस प्रतीकों के नाम देगा:

बशर्ते कि कोई दल, यदि ऐसी इच्छा व्यक्त करता है, अपने अभ्यर्थियों के आबंटन के लिए प्रतीक के नामों तथा सुस्पष्ट डिजाइन एवं आरेखों के साथ अपने पसंद के तीन नए प्रतीकों का भी, वरीयता क्रम में, प्रस्ताव करे जिस पर आयोग एक ही प्रतीक आबंटित करने पर विचार कर सकता है जब उसका यह अभिमत हो जाए कि ऐसे प्रतीक को आबंटित करने में उसे कोई आपत्ति नहीं है :

बशर्ते यह भी कि दलों द्वारा प्रस्तावित प्रतीकों का मौजूदा आरक्षित प्रतीकों या मुक्त प्रतीकों से न तो कोई सादृश्य हो और न ही कोई धार्मिक या सांप्रदायिक स्वगुणार्थ हो या किसी पक्षी या पशु का वर्णन करता हो;

बशर्ते यह भी कि नए प्रतीक के लिए किसी भी प्रस्ताव पर आयोग द्वारा तब तक कोई विचार नहीं किया जाएगा जब तक उसे संबंधित लोक सभा की कार्य अवधि समाप्त होने की तिथि से कम से कम तीन महीने पहले या लोक सभा के समय–पूर्व भंग किए जाने के एक महीने के भीतर, जैसा भी मामला हो, न दिया गया हो;

(v) दल यह वचन–पत्र भी दे कि यदि दल ऊपर शर्त (i) में यथा–विहित निर्वाचन–क्षेत्रों की न्यूनतम संख्या में अभ्यर्थियों को खड़ा नहीं करता है तो उसके अभ्यर्थी प्रतीकों के आबंटन की तिथि के दिन

उन्हें एक ही प्रतीक आबंटित किए जाने के हकदार नहीं होंगे; और, इसके अतिरिक्त दल आयोग द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली दण्डात्मक कार्रवाई का भागी भी बनेगा।

(vi) दल जिन निर्वाचन–क्षेत्रों में अभ्यर्थी खड़े कर रहा है उनकी क्रम संख्याओं और नामों वाली सूची आयोग को उस तिथि से जिस तिथि से निर्वाचन की अधिसूचना (या चरणबद्ध निर्वाचनों के मामले में पहली अधिसूचना) जारी किए जाने के लिए निर्धारित हो, पांच पूर्ण दिवस पहले प्रस्तुत की जाए ।

स्पष्टीकरण :

संदेह के निराकरण के लिए एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि–

(i) उन मामलों में जहां इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख तथा विधानसभा की अवधि समाप्त होने की तारीख के बीच की अवधि छह मास से कम है, इस पैरा के प्रावधान इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने की तारीख से लागू होंगे ;

(ii) इस पैरा के अधीन अमान्यता प्राप्त पंजीकृत दल के अभ्यर्थियों को एक समान प्रतीक के आबंटन की छूट, दल की पसंद के हिसाब से लोक सभा या राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन में केवल एक–बारगी सुविधा होगी और जिस दल ने इस छूट का एक बार लाभ उठा लिया है वह बाद के किसी भी साधारण निर्वाचन में इसका पात्र नहीं होगा।

बशर्ते कि, जैसा कि इस अधिसूचना से पहले विद्यमान था, जिन पार्टियों ने पैरा 10ख के अधीन छूट का पहले ही उपभोग कर लिया है वे भी इस पैरा के संशोधित प्रावधानों के अनुसार एक–समान प्रतीक की एक–बारगी छूट के पात्र होंगे ;

(iii) इस पैरा के अधीन किसी दल के अभ्यर्थियों को एक ही प्रतीक के रूप में आबंटित मुक्त प्रतीक अन्य दलों द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों, जिनमें उस दल ने अपने अभ्यर्थी खड़े नहीं किए हैं, के निर्दलीय उम्मीदवारों को आबंटन के लिए उपलब्ध रहेंगे ;

(iv) इस पैरा के अधीन एक समान प्रतीक का आबंटन 'पहले आओ पहले पाओ' आधार पर किया जाँएगा: बशर्ते कि यदि आयोग में एक ही तारीख को एक ही प्रतीक को अधिमान देते हुए दो या अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो ऐसे दलों में से किसी एक को प्रतीक के आबंटन के प्रश्न का निर्णय आयोग के निदेशानुसार 'ड्रा' जैसी किसी विधि द्वारा किया जाएगा।

बशर्ते कि, इसके अतिरिक्त यदि समान प्रतीक के लिए अधिमान देने वाले दो या अधिक ऐसे दलों के एक ही तारीख को आवेदन प्राप्त हुए हैं, और उनमें से एक दल ऐसा है जिसके द्वारा अधिमान दिए गए प्रतीक पर लोक सभा या संबंधित राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्य हैं, तो अन्य दलों को छोड़ कर हुए उस दल को प्रतीक आबंटित कर दिया जाएगा।

(v) यदि आयोग के लिए किसी कारणवश दल के अभ्यर्थियों को उन प्रतीकों की सूची में से एक ही प्रतीक प्रदान करना संभव न हो जिसके लिए उन्होंने इस पैरा के अंतर्गत अपनी प्राथमिकता दी है तो वह उस पार्टी के परामर्श से मुक्त प्रतीकों की सूची में से उस दल को कोई अन्य प्रतीक आबंटित कर सकता है।

(vi) पैरा 10क में निहित किसी बात के होते हुए भी, कोई राजनैतिक दल जो पहले मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल था तथा जिसने 6 से अधिक वर्ष पहले अपनी मान्यता गंवा दी थी इस पैरा के अधीन उस प्रतीक, जो दल के मान्यता गंवा देने के छह वर्ष पूरे होने के उपरान्त आयोजित लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन में उस दल के लिए आरक्षित था, के आबंटन की एक–बारगी छूट का पात्र होगा बशर्ते कि खण्ड (क) और (ख) के अन्तर्गत निर्दिष्ट शर्तों में से प्रत्येक शर्त, जैसा भी मामला हो, उप खण्ड (iv) में दी गई शर्त के सिवाय, पूरी की गई हों"।

आदेश से,

(के.एफ. विल्फ्रेड)

भारत निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव

Government Printing Press, Daman - 07/2013 – 250.
[Price Rs. 6.00]